द्वादश माला, खंड 8, अंक 1

सोमवार, 22 फरवरी, 1999
3 फाल्गुन, 1920 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र

(बारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 8 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस॰ गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा॰ अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री जे॰एस॰ वत्स
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[द्वादश माला, खंड 8, चौथा सत्र, 1999/1920 (शक)]

अंक 1, सोमवार, 22 फरवरी, 1999/3 फाल्गुन, 1920 (शक)

विषय	कालम
सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची	iii—xii
लोक सभा के पदाधिकारी	xiii
मंत्रिपरिषद	xv—xvi
राष्ट्रगान—*धुन बजाई गई*	1
राष्ट्रपति का अभिभाषण —*सभा पटल पर रखा गया*	1—14
निधन सम्बन्धी उल्लेख	14—17
सभा पटल पर रखे गए पत्र . . .	17—20

बारहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची

अ

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र (झांसी)

अग्रवाल, श्री धीरेन्द्र (चतरा)

अजमीरा, श्री चंदू लाल (वारंगल)

अजय कुमार, श्री एस॰ (ओट्टापलम)

अनंत कुमार, श्री (बंगलौर दक्षिण)

अनवर, श्री तारिक (कटिहार)

अन्नाययागरी, श्री साई प्रताप (राजमपेट)

आपांग, श्री ओमाक (अरूणाचल पश्चिम)

अब्दुल्ला, श्री उमर (श्रीनगर)

अम्बरीश, श्री (माण्डया)

अम्बेडकर, श्री प्रकाश यशवंत (अकोला)

अयानूर, श्री मंजुनाथ (शिमोगा)

अरूमुगम, श्री एस॰ (पांडिचेरी)

अर्गल, श्री अशोक (मुरैना)

अहमद, डा॰ शकील (मधुबनी)

अहमद, श्री अकबर (आजमगढ़)

अहमद, श्री ई॰ (मंजेरी)

अहमद, श्री मोइनुल हसन (मुर्शिदाबाद)

अहिरे, श्री डी॰एस॰ (धुले)

आ

आचार्य, श्री प्रसन्ना (सम्बलपुर)

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

आजना, श्री उदयलाल (चित्तौड़गढ़)

आठवले, श्री रामदास (मुंबई उत्तर-मध्य)

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधीनगर)

आदित्यनाथ, श्री (गोरखपुर)

आलीवाल, श्री अमरीक सिंह (लुधियाना)

आवाडे, श्री कल्लाप्पा (इचलकरांजी)

इ

इन्दौरा, डा॰ सुशील (सिरसा)

ई

ईडन, श्री जार्ज (एर्णाकुलम)

उ

उपाध्याय, श्री रामपाल (भीलवाड़ा)

उपेन्द्र, श्री पी॰ (विजयवाड़ा)

उमा भारती, कुमारी (खजुराहो)

उराम, श्री जुआल (सुन्दरगढ़)

उस्मानी, श्री ए॰एफ॰ गुलाम (बारपेटा)

ऋषिदेव, श्री रामजीदास (अररिया)

ए

एम॰ मास्टर मथान, श्री (नीलगिरि)

ओ

ओमप्रकाश, श्री (गाजीपुर)

ओला, श्री शीश राम (झुंझुनू)

ओवेसी, श्री सुल्तान सलाउद्दीन (हैदराबाद)

क

कठेरिया, श्री प्रभुदयाल (फिरोजाबाद)

कथीरिया, डा॰ वल्लभभाई (राजकोट)

कनोडिया, श्री महेश (पाटन)

कमल रानी, श्रीमती (घाटमपुर)

कमलनाथ, श्री (छिन्दवाड़ा)

करूणाकरन, श्री के॰ (तिरूअनन्तपुरम)

कवाडे, प्रो॰ जोगेन्द्र (चिमूर)

कश्यप, श्री बलीराम (बस्तर)

कहांडोले, श्री जेड॰एम॰ (मालेगांव)

कांबले, श्री अरविंद (उस्मानाबाद)

कामत, श्री गुरूदास (मुम्बई उत्तर-पूर्व)

कालिता, श्री भुवनेश्वर (गुवाहाटी)

किन्डिया, श्री पी॰आर॰ (शिलांग)

कुप्पुसामी, श्री सी॰ (मद्रास उत्तर)

कुमार, श्री वी॰ धनंजय (मंगलौर)

कुमार, श्री शैलेन्द्र (चैल)

कुमार, श्रीमती मीरा (करोलबाग-दिल्ली)

कुमारमंगलम, श्री पी॰आर॰ (तिरूचिरापल्ली)

कुरियन, प्रो॰ पी॰जे॰ (मवेलीकारा)

कुरूप, श्री सुरेश (कोट्टायम)

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह (मण्डला)

कुसमरिया, डा॰ रामकृष्ण (दमोह)

कृष्णादास, श्री एन॰एन॰ (पालघाट)

कृष्णमराजू, श्री यू॰वी॰ (काकीनाडा)

कृष्णमूर्ति, श्री के॰ (मयिलादुतुराई)

कैंथ, श्री सतनाम सिंह (फिल्लौर)

कोंडय्या, श्री के॰सी॰ (बेल्लारी)

कोली, श्री गंगा राम (बयाना)

ख

खण्डेलवाल, श्री विजय कुमार (बेतूल)

खण्डूड़ी, मेजर जनरल भुवन चन्द्र, एवीएसएम (गढ़वाल)

खन्ना, श्री विनोद (गुरदासपुर)

खॉ, श्री आरिफ मोहम्मद (बहराइच)

खॉ, श्री अबुल हसनत (जंगीपुर)

खॉ, श्री रिजवान जहीर (बलरामपुर)

खॉ, श्री सुनील (दुर्गापुर)

खांदोकर, श्री अकबर अली (सेरमपुर)

खुराना, श्री मदन लाल (दिल्ली सदर)

ग

गंगटे, कुमारी किम (बाह्य मणिपुर)

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार (बरेली)

गंगाधर, श्री एस॰ (हिन्दुपुर)

गगोई, श्री तरूण (कलियाबोर)

गढ़वी, श्री पी॰एस॰ (कच्छ)

गणेशमूर्ति, श्री ए॰ (पलानी)

गफुर, श्री अब्दुल (गोपालगंज)

गमांग, श्री गिरिधर (कोरापुट)

गवई, श्री आर॰एस॰ (अमरावती)

गहलोत, श्री अशोक (जोधपुर)

गांधी, श्रीमती मेनका (पीलीभीत)

गामीत, श्री सी॰डी॰ (माण्डवी)

गावीत, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दुरबार)

गिरि, श्री सुधीर (कोन्टाई)

गिरियप्पा, श्री सी॰पी॰एम॰ (चित्रदुर्ग)

गीते, श्री अनंत गंगाराम (रत्नागिरि)

गुजराल, श्री इन्द्र कुमार (जालन्धर)

गुप्त, श्री इन्द्रजीत (मिदनापुर)

गुप्त, श्री चमन लाल (ऊधमपुर)

गेहलोत, श्री थावरचन्द (शाजापुर)

गोपाल, श्री सी॰ (अर्कोनम)

गोयल, श्री विजय (चांदनी चौक)

गोविन्दन, श्री टी॰ (कासरगोड)

गोस्वामी, श्री नृपेन (नौगांव)

गौतम, श्रीमती शीला (अलीगढ़)

घ

घाटोवार, श्री पवन सिंह (डिब्रुगढ़)

च

चक्रवर्ती, श्री अजय (बसीरहाट)

चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)

चन्दूमाजरा, प्रो॰ प्रेम सिंह (पटियाला)

चन्देल, श्री सुरेश (हमीरपुर) (हि.प्र.)

चन्द्रशेखर, श्री (बलिया) (उ.प्र.)

चपलोल, श्री शान्तिलाल (उदयपुर)

चलामेला, डा॰ सुगुण कुमारी (पेद्दापल्ली)

चव्हाण, श्री पृथ्वीराज दा॰ (कराड़)

चाक्को, श्री पी॰सी॰ (इदुक्की)

चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोडाभाई (आनन्द)

चिखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई (जूनागढ़)

चिदम्बरम, श्री पी॰ (शिवगंगा)

चिन्ता मोहन, डा॰ (तिरूपति)

चिन्नासामी, श्री वी॰के॰ (गोबिचेटिट्पालयम)

चेंगारा सुरेन्द्रन, श्री (अडूर)

चौधरी, कर्नल सोनाराम (बाड़मेर)

चौधरी, श्री ए॰बी॰ए॰ गनी खां (मालदा)

चौधरी, श्री कृष्ण कुमार (गया)

चौधरी, श्री पंकज (महाराजगंज)

चौधरी, श्री मणीभाई रामजीभाई (बलसाड़)

चौधरी, श्री राम टहल (रांची)

चौधरी, श्री रामरघुनाथ (नागौर)

चौधरी, श्री विकास (आसनसोल)

चौधरी, श्री शकुनी (खगड़िया)

चौधरी, श्री समर (त्रिपुरा पश्चिम)

चौधरी, श्री हरिभाई (बनासकांठा)

चौधरी, श्रीमती निशा अ॰ (साबरकांठा)

चौधरी, श्रीमती रीना (मोहनलालगंज)

चौधरी, स्क्वाड्रन लीडर कमल (होशियारपुर)

चौबे, श्री लालमुनी (बक्सर)

चौहान, श्री चेतन (अमरोहा)

चौहान, श्री जयसिंहजी (कपड़वंज)

चौहान, श्री नंदकुमार सिंह (खंडवा)

चौहान, श्री शिवराज सिंह (विदिशा)

चौहान, श्री श्रीराम (बस्ती)

ज

जगमोहन, श्री (नई दिल्ली)

जटिया, डा॰ सत्यनारायण (उज्जैन)

जनार्दनन, श्री कादम्बूर एम॰आर॰ (तिरूनेलवेली)

जाखड़, श्री बलराम (बीकानेर)

जाफर शरीफ, श्री सी॰के॰ (बंगलौर–उत्तर)

जायसवाल, डा॰ मदन प्रसाद (बेतिया)

जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद (वाराणसी)

जालप्पा, श्री आर॰एल॰ (चिकबलपुर)

जावीया, श्री गोरधनभाई जादवभाई (पोरबन्दर)

जिंगाजिनागी, श्री रमेश सी॰ (चिक्कोडी)

जैन, श्री सत्य पाल (चंडीगढ़)

जैन, श्री मीठा लाल (पाली)

जोगी, श्री अजीत (रायगढ़)

जोशी, डा॰ मुरली मनोहर (इलाहाबाद)

जोस, श्री ए॰सी॰ (मुकुन्दपुरम)

जहेदी, श्री महबूब (कटवा)

ट

टंडेल, श्री देवजी भाई जे॰ (दमन और दीव)

ठ

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन भरतकुमार (वडोदरा)

ठाकुर, डा॰ सी॰पी॰ (पटना)

ठाकुर, डा॰ प्रभा (अजमेर)

ठाकुर, श्री रामशेठ (कुलाबा)

ड

डामोर, श्री सोमजीभाई (दोहद)

डिसूजा, डा॰ बीट्रिक्स (नामनिर्दिष्ट)

डेनिस, श्री एन॰ (नागरकोइल)

डोम, डा॰ रामचन्द्र (बीरभूम)

त

तनपुरे, श्री प्रसाद बाबूराव (कोपरगांव)

तम्बीदुरई, डा॰ एम॰ (करूर)

तसलीमुद्दीन, श्री (किशनगंज)

तिवारी, श्री प्रभाष चन्द (भागलपुर)

तिवारी, श्री लाल बिहारी (पूर्वी दिल्ली)

तुपे, श्री विठ्ठल (पुणे)

तुर, श्री त्रिलोचन सिंह (तरनतारन)

तोपदार, श्री तरित वरण (बैरकपुर)

तोमर, डा॰ रमेश चन्द (हापुड़)

त्यागराजन, श्री एम॰ (पोल्लाची)

त्रिपाठी, श्री चन्द्रमणि (रीवा)

त्रिपाठी, श्री ब्रज किशोर (पुरी)

थ

थामस, श्री पी॰सी॰ (मुवत्तुपुजा)

थोरात, श्री संदीपान (पंढरपुर)

द

दत्त, वैद्य विष्णु (जम्मू)

दत्तात्रेय, श्री बंडारू (सिकन्दराबाद)

दलित एजिलमलाई, श्री (चिदम्बरम)

दवे, श्रीमती भावना कर्दम (सुरेन्द्रनगर)

दामोदरन, श्री एम॰सी॰ (कुडडालोर)

दास, श्री नेपाल चन्द्र (करीमगंज)

दाहाल, श्री भीम (सिक्किम)

दिलेर, श्री किशन लाल (हाथरस)

दुराई, श्री एम॰ (वन्डावासी)

देलकर, श्री मोहन एस॰ (दादरा और नगर हवेली)

देव, श्री विक्रम केशरी (कालाहांडी)

देवगौडा, श्री एच॰ डी॰ (हसन)

देवरा, श्री मुरली (मुम्बई दक्षिण)

देवी, श्रीमती ओमवती (बिजनौर)

देवी, श्रीमती कैलाशो (कुरूक्षेत्र)

देवी, श्रीमती मालती (नवादा)

देवी, श्रीमती रमा (मोतीहारी)

द्रोण, श्री जगत वीर सिंह (कानपुर)

द्विवेदी, श्री रमेश चन्द्र (बांद्रा)

ध

धालीवाल, श्रीमती सतविन्दर कौर (रोपड़)

न

नकवी, श्री मुख्तार (रामपुर)

नम, श्री शंकर सखाराम (दहानू)

नरह, श्रीमती रानी (लखीमपुर)

नाईक, श्री राम (मुम्बई–उत्तर)

नागरा, श्री अमन कुमार (अम्बाला)

नायक, श्री उपेन्द्र नाथ (क्योंझर)

नायक, श्री ए॰ वेंकटेश (रायचूर)

नायक, श्री रवि सीताराम (पणजी)

नायम, श्री सुधाकरराव राजूसिंग (वाशिम)

नायडु, श्री के॰पी॰ (बोब्बिली)

नायडु, श्री गिरजला वेंकट स्वामी (राजामुन्दरी)

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद (मुजफ्फरपुर)

नीतीश कुमार, श्री (बाढ़)

प

पंत, श्रीमती इला (नैनीताल)

पटनायक, श्री नवीन (आस्का)

पटनायक, श्रीमती जयन्ती (बरहामपुर) (उड़ीसा)

पटेल, डा॰ अशोक कुमार (फतेहपुर)

पटेल, डा॰ ए॰ के॰ (मेहसाना)

पटेल, श्री चन्द्रेश (जामनगर)

पटेल, श्री जंग बहादुर सिंह (फूलपुर)

पटेल, श्री दिन्शा (खेड़ा)

पटेल, श्री प्रफुल्ल (भंडारा)

पटेल, श्री शान्तिलाल पुरषोत्तमदास (गोधरा)

पनबाक, श्रीमती लक्ष्मी (नैल्लौर)

पन्नीरसेल्वम, श्री कॉची (चेंगलपेट)

पन्नु, इंजीनियर शंकर (श्री गंगानगर)

परमशिवम राजा, श्री (पुडुक्कोट्टई)

परांजपे, श्री प्रकाश विश्वनाथ (ठाणे)

परांजपे, श्री दादा बाबूराव (जबलपुर)

पलानीमनिक्कम, श्री एस॰एस॰ (तंजावूर)

पलानीस्वामी, श्री के॰ (तिरूचेंगोडे)

पवार, श्री उत्तम सिंह (जालना)

पवार, श्री शरद (बारामती)

पांजा, डा॰ रणजीत कुमार (बारसाट)

पांजा, श्री अजित कुमार (कलकत्ता उत्तर-पूर्व)

पाटसाणी, डा॰ प्रसन्न कुमार (भुवनेश्वर)

पाटिल, श्री भास्कर राव (नांदेड़)

पाटीदार, श्री रामेश्वर (खरगोन)

पाटील, डा॰ उल्हास वासुदेव (जलगाँव)

पाटील, श्री अन्नासाहिब एम॰के॰ (इरन्दोल)

पाटील, श्री उत्तमराव देवराव (यवतमाल)

पाटील, श्री एम॰बी॰ (बीजापुर)

पाटील, श्री जयसिंहराव गायकवाड़ (बीड़)

पाटील, श्री बाबागौड़ा (बेलगाम)

पाटील, श्री बालासाहिब विखे (अहमदनगर)

पाटील, श्री मदन (सांगली)

पाटील, श्री माधवराव (नासिक)

पाटील, श्री रामकृष्ण बाबा (औरंगाबाद) (महाराष्ट्र)

पाटील, श्री शिवराज वी॰ (लातूर)

पाटील, श्रीमती सूर्यकांता (हिंगोली)

पाठक, श्री आनन्द (दार्जिलिंग)

पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद)

पाण्डेय, डा॰ लक्ष्मी नारायण (मंदसौर)

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार (गिरिडीह)

पायलट, श्री राजेश (दौसा)

पाल, श्री रूपचन्द (हुगली)

पासवान, श्री पीताम्बर (रोसेड़ा)

पासवान, श्री राम विलास (हाजीपुर)

पासी, श्री राजनारायण (बांसगांव)

पुगलीया, श्री नरेश (चन्द्रपुर)

पुरकायस्थ, श्री कवीन्द्र (सिल्चर)

पैरीमोहन, श्री के॰ (धर्मपुरी)

पोटाई, श्री सोहन (कांकेर)

प्रधान, श्री अशोक (खुर्जा)

प्रधान, डा॰ देवेन्द्र (देवगढ़)

प्रधानी, श्री खगपति (नवरंगपुर)

प्रभु, श्री सुरेश (राजापुर)

प्रमाणिक, प्रो॰ आर॰आर॰ (मथुरापुर)

प्रसाद, श्री हरिकेवल (सलेमपुर)

प्रेमचन्द्रन, श्री एन॰के॰ (क्विलोन)

प्रेमाजम, प्रो॰ ए॰के॰ (बडागरा)

फ

फर्नान्डीज, श्री जार्ज (नालन्दा)

फातमी, श्री मोहम्मद अली अशरफ (दरभंगा)

फोली, जनरल नेविले (नामनिर्दिष्ट)

ब

बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम)

बखला, श्री जोवाकिम (अलीपुरदुआर्स)

बघेल, प्रो॰ एस॰पी॰ सिंह (जलसेर)

बचदा, श्री बची सिंह रावत (अल्मोड़ा)

बनर्जी, कुमारी ममता (कलकत्ता दक्षिण)

बनातवाला, श्री जी॰एम॰ (पोन्नानी)

बरनाला, सरदार सुरजीत सिंह (संगरूर)

बरवाला, श्री सुरेन्द सिंह (हिसार)

बर्क, डा॰ शफीकुर्रहमान (मुरादाबाद)

बर्मन, श्री रनेन (बलूरघाट)

बसु, श्री अनिल (आराम बाग)

बादल, श्री सुखबीर सिंह (फरीदकोट)

बापीराजू, श्री के॰ (नरसापुर)

बालयोगी, श्री जी॰एम॰सी॰ (अमालापुरम)

बाला, डा॰ असीम (नवद्वीप)

बालू, श्री टी॰आर॰ (मद्रास दक्षिण)

बिसेन, श्री गौरी शंकर चतुर्भुज (बालाघाट)

बिसवाल, श्री रनजीब (जगतसिंहपुर)

बुडानिया, श्री नरेन्द्र (चुरू)

बेहरा, श्री पद्मा नावा (फूलबनी)

बैंदा, श्री रामचन्द्र (फरीदाबाद)

बैठा, श्री महेन्द्र (बगहा)

बैरवा, श्री द्वारका प्रसाद (टोंक)

बैस, श्री रमेश (रायपुर)

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खंगुर (कोकराझार)

बोस, श्रीमती कृष्णा (जादवपुर)

बौरी, श्रीमती संध्या (विष्णुपुर)

भ

भक्त, श्री मनोरंजन (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)

भगत, श्री इन्द्र नाथ (लोहरदगा)

भजनलाल, श्री (करनाल)

भारद्वाज, श्री परस राम (सारंगढ़)

भार्गव, श्री गिरधारी लाल (जयपुर)

भार्गव, श्री राम शंकर (मिसरिख)

भूरिया, श्री कांतिलाल (झाबुआ)

भोंसले, श्री अभयसिंह एस॰ (सतारा)

भोंसले, श्रीमती राणी चित्रलेखा (रामटेक)

म

मंडल, श्री जय कृष्ण (पूर्णिया)

मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)

मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा (कोल्हापुर)

मरांडी, श्री बाबू लाल (दुमका)

मरांडी, श्री सोम (राजमहल)

मगन्ती बाबू, श्री (एलुरू)

मलिक, श्री राम चन्द्र (जाजपुर)

मल्लिकार्जुनय्या, श्री एस॰ (तुमकूर)

मल्लू, डा॰ रवि (नगर कुरनूल)

महंत चरण दास, डा॰ (जांजगीर)

महतो, श्री बीर सिंह (पुरुलिया)

महतो, श्री राजवंशी (बलिया) (बिहार)

महतो, श्रीमती आभा (जमशेदपुर)

महरिया, श्री सुभाष (सीकर)

महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इंदौर)

मान, श्री जोरा सिंह (फिरोजपुर)

मायावती, कुमारी (अकबरपुर)

मारन, श्री मुरासोली (मद्रास मध्य)

मालविया, श्री महेन्द्रजीत सिंह (बांसवाडा)

मिश्र, श्री इन्द्रजीत (खलीलाबाद)

मिश्र, श्री जनार्दन प्रसाद (सीतापुर)

मिश्र, श्री रामनगीना (पडरौना)

मिश्र, श्री श्याम-बिहारी (बिल्हौर)

मिश्र, श्रीमती सुखदा (इटावा)

मीणा, श्री भेरूलाल (सलूम्बर)

मीणा, श्री रामनारायण (कोटा)

मीणा, श्रीमती उषा (सवाई माधोपुर)

मुखर्जी, श्री प्रमथेस (बरंहामपुर) (प. बंगाल)

मुखर्जी, श्री सुब्रत (रायगंज)

मुखर्जी, श्रीमती गीता (पंसकुरा)

मुखोपाध्याय, श्री अजय (कृष्नगर)

मुण्डा, श्री कड़िया (खूंटी)

मुत्तेमवार, श्री विलास (नागपुर)

मुथैया, श्री आर॰ (पेरियाकुलम)

मुनियप्पा, श्री के॰एच॰ (कोलार)

मुनीलाल, श्री (सासाराम)

मुनुसामी, श्री के०पी० (कृष्ण गिरी)

मुरूगेसन, श्री एस० (तेनकासी)

मुर्मु, श्री रूपचन्द (झाड़ग्राम)

मुर्मु, श्री सालखन (मयूरभंज)

मेघे, श्री दत्ता (वर्धा)

मेनसिंकाई, श्री बी०एम० (धारवाड़ दक्षिण)

मेहता, प्रो० अजित कुमार (समस्तीपुर)

मेहताब, श्री भर्तृहरि (कटक)

मोल्लाह, श्री हन्नान (उलूबेरिया)

मोहन, श्री आनन्द (शिवहर)

मोहले, श्री पुन्नू लाल (बिलासपुर)

मोहोल, श्री अशोक नामदेवराव (खेड़)

मौर्य, श्री आनन्द रत्न (चंदौली)

य

यादव, श्री अनूप लाल (सहरसा)

यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद (गोड्डा)

यादव, श्री पारसनाथ (जौनपुर)

यादव, श्री प्रदीप कुमार (कन्नौज)

यादव, श्री बलराम सिंह (मैनपुरी)

यादव, श्री मित्रसेन (फैजाबाद)

यादव, श्री मुलायम सिंह (सम्भल)

यादव, श्री सत्यपाल सिंह (शाहजहांपुर)

यादव, श्री सीताराम (सीतामढ़ी)

यादव, श्री सुरेन्द्र प्रसाद (जहानाबाद)

यादव, श्री सुरेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)

येरननायडु, श्री के० (श्रीकाकुलम)

र

रंगपी, डा० जयन्त (स्वशासी जिला–असम)

रमैया, श्री सोडे (भद्राचलम)

राघवन, श्री वी०वी० (त्रिचूर)

राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह (धार)

राजपूत, श्री गंगा चरण (हमीरपुर) (उ०प्र०)

राजबंशी, श्री माधव (मंगलदाई)

राजरतिनम, श्री पी० (पेरम्बलूर)

राजू, श्री एस० विजय रामा (पार्वतीपुरम)

राजे, श्रीमती वसुन्धरा (झालावाड़)

राजैया, श्री एम० (सिद्दीपेट)

राठवा, श्री एन०जे० (छोटा उदयपुर)

राणा, श्री काशीराम (सूरत)

राणा, श्री राजू (भावनगर)

राधाकृष्णन, श्री वारकला (चिरायिंकिल)

राधाकृष्णन, श्री सी०पी० (कोयम्बटूर)

राम, श्री ब्रजमोहन (पलामू)

रामचन्द्रन, श्री गिनगी एन० (टिंडिवनाम)

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (कन्नौर)

राममूर्ति, श्री वाझापडी के० (सेलम)

रामराजन, श्री (तिरूचेंदूर)

रामशकल, श्री (राबर्टसगंज)

रामुलु, श्री एच०जी० (कोप्पल)

राय प्रधान, श्री अमर (कूचबिहार)

राय, श्री कल्पनाथ (घोसी)

राय, श्री देवेन्द्र बहादुर (सुल्तानपुर)

राय, श्री हीरा लाल (छपरा)

राव, श्री आर० साम्बासिवा (गुंटूर)

राव, श्री के०एस० (मछलीपतनम)

राव, श्री गुरूनाधा (अनकापल्ली)

राव, श्री नादेन्दला भास्कर राव (खम्माम)

राव, श्री सीएच० विद्यासागर (करीमनगर)

रावत, श्री बैजनाथ (बाराबंकी)

रावत, श्री भगवान शंकर (आगरा)

रावले, श्री मोहन (मुम्बई दक्षिण–मध्य)

रियान, श्री बाजू बन (त्रिपुरा पूर्व)
रेड्डी, डा॰ बी॰एन॰ (मिरयालगुडा)
रेड्डी, डा॰ वाई॰एस॰ राजशेखर (कुडप्पा)
रेड्डी, श्री एन॰ जनार्दन (बापतला)
रेड्डी, श्री एम॰ बागा (मेडक)
रेड्डी, श्री एस॰ जयपाल (महबूबनगर)
रेड्डी, श्री एस॰ सुधाकर (नालगोंडा)
रेड्डी, श्री के॰ विजय भास्कर (कुरनूल)
रेड्डी, श्री चाडा सुरेश (हनमकोण्डा)
रेड्डी, श्री जी॰ गंगा (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री भूमा नागी (नान्दयाल)
रेड्डी, श्री मगुन्टा श्रीनिवासुलु (ओगोले)
रेड्डी, श्री वेंकटरामी अनन्त (अनन्तपुर)
रेड्डी, डा॰ टी॰ सुब्बारामी (विशाखापत्तनम)
रेड्डी, श्री एन॰आर॰के॰ (चित्तूर)
रोसैया, श्री कोनिजेटी (नरसारावपेट)

ल

लालुगमाना, श्री एच॰ (मिजोरम)
लालू प्रसाद, श्री (मधेपुरा)
लहिड़ी, श्री समीक (डाइमंड हार्बर)

व

वंग्चा, श्री राजकुमार (अरूणाचल पूर्व)
वरपुडकर, श्री सुरेश (परभणी)
वर्मा, कुमारी विमला (सिवनी)
वर्मा, प्रो॰ रीता (धनबाद)
वर्मा, श्री बेनी प्रसाद (केसरगंज)
वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह (जालौन)
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास (धन्धुका)
वर्मा, श्री रवि प्रकाश (खीरी)
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद (कोडरमा)
वर्मा, श्री वीरेन्द्र (कैराना)
वर्मा, श्री सुशील चंद्र (भोपाल)
वर्मा, श्रीमती उषा (हरदोई)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (लखनऊ)
वसावा, श्री मनसुख भाई (भरूच)
वासनिक, श्री मुकुल (बुलदाना)
विजय, श्री विजय कुमार (मुंगेर)
विजयशंकर, श्री (मैसूर)
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)
वीरेन्द्र कुमार, श्री (सागर)
वेणुगोपाल, श्री के॰ (श्रीपेरूम्बुदुर)
वेणुगोपाल, श्री डी॰ (तिरूपत्तूर)
वेणुगोपालाचारी, डा॰ एस॰ (आदिलाबाद)
वेदान्ती, डा॰ रामविलास (प्रतापगढ़)
वैको, श्री (शिवकाशी)
वोरा, श्री मोतीलाल (राजनादगांव)

श

शंकरन, श्री पी॰ (कालीकट)
शमानुर, श्री शिवशंकरप्पा (दावणगेरे)
शर्मा, श्री कृष्ण लाल (बाहरी दिल्ली)
शहाबुद्दीन, मुहम्मद (सिवान)
शांता कुमार, श्री (कांगड़ा)
शाक्य, डा॰ महादीपक सिंह (एटा)
शास्त्री, डा॰ विजय सोनकर (सैदपुर)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी गढ़वाल)
शिंदे, श्री सुशील कुमार (शोलापुर)
शिव शंकर, श्री पी॰ (तेनाली)
शेट्टी, श्री जयराम आई॰एम॰ (उदुपी)
शेरवानी, श्री सलीम इकबाल (बदायूं)
श्रीकांतप्पा, श्री डी॰सी॰ (चिकमंगलूर)
श्रीनिवास, श्री एम॰ (कनकपुरा)
श्रीनिवासन, श्री सी॰ (डिंडीगुल)

ष

षणमुगम, श्री एन॰टी॰ (वेल्लौर)

स

संकेश्वर, श्री विजय (धारवाड़-उत्तर)

संगमा, श्री पूर्णो ए॰ (तुरा)

सईद, श्री पी॰एम॰ (लक्षद्वीप)

सईद, श्री मुफ्ती मोहम्मद (अनन्तनाग)

संघाणी, श्री दिलीप (अमरेली)

सत्पथी, श्री तथागत (ढेंकानाल)

सत्यमूर्ति, श्री वी॰ (रामनाथपुरम)

समांऊ, श्री चतिन सिंह (भटिंडा)

सर, श्री निखिलानन्द (बर्दवान)

सरकार, डा॰ विक्रम (हावड़ा)

सरनायक, श्री अजय कुमार एस॰ (बागलकोट)

सरपोतदार, श्री मधुकर (मुम्बई उत्तर-पश्चिम)

सरोज, श्री दरोगा प्रसाद (लालगंज)

सरोजा वी॰, डा॰ (रासीपुरम)

सांगतम, श्री के॰ए॰ (नागालैण्ड)

सांगवान, श्री किशन सिंह (सोनीपत)

साक्षी, डा॰ स्वामी सच्चिदानन्द हरि (फर्रूखाबाद)

साथी, श्री हरपाल सिंह (हरिद्वार)

सामन्तराय, श्री प्रभात कुमार (केन्द्रपाड़ा)

साय, श्री लरंग (सरगुजा)

सारदीना, श्री फ्रांसिस्को (मारमागाओ)

साहू, श्री चन्द्रशेखर (महासमुन्द)

साहू, श्री ताराचंद (दुर्ग)

सिंधिया, श्री माधवराव (ग्वालियर)

सिंधिया, श्रीमती विजयराजे (गुना)

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी (बोलनगीर)

सिंह, डा॰ राम लखन (भिण्ड)

सिंह, डा॰ संजय (अमेठी)

सिंह, राव इन्द्रजीत (महेन्द्रगढ़)

सिंह, श्री अमर पाल (मेरठ)

सिंह, श्री अशोक (रायबरेली)

सिंह, श्री एच॰पी॰ (आरा)

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन, (गोण्डा)

सिंह, श्री के॰ नटवर (भरतपुर)

सिंह, श्री छत्रपाल (बुलन्दशहर)

सिंह, श्री जगन्नाथ (सीधी)

सिंह, श्री ज्ञान, (शहडोल)

सिंह, श्री तेजवीर (मथुरा)

सिंह, श्री था॰ चौबा (आंतरिक मणिपुर)

सिंह, श्री दिग्विजय (बांका)

सिंह, श्री देवी बक्स (उन्नाव)

सिंह, श्री नकली (सहारनपुर)

सिंह, श्री प्रभुनाथ (महाराजगंज)

सिंह, श्री बूटा (जालौर)

सिंह, श्री महेश्वर (मंडी)

सिंह, श्री मोहन (देवरिया)

सिंह, श्री रघुवंश प्रसाद (वैशाली)

सिंह, श्री राघवेन्द्र (शाहाबाद)

सिंह, श्री राजवीर (आंवला)

सिंह, श्री राजो (बेगूसराय)

सिंह, श्री रामपाल (डुमरियागंज)

सिंह, श्री रामानन्द (सतना)

सिंह, श्री लक्ष्मण (राजगढ़)

सिंह, श्री वशिष्ट नारायण (बिक्रमगंज)

सिंह, श्री वीरेन्द्र (मिर्जापुर)

सिंह, श्री सरताज (होशंगाबाद)

सिंह, श्री सुरेन्द्र (भिवानी)

सिंह, श्री सुशील कुमार (औरंगाबाद) (बिहार)

सिंह, श्री सोहनवीर (मुजफ्फरनगर)

सिकदर, श्री तपन (दमदम)
सिद्धराजु, श्री ए० (चामराजनगर)
सिन्हा, श्री यशवन्त (हजारीबाग)
सुधीरन, श्री वी०एम० (अलेप्पी)
सुब्बा, श्री मोनी कुमार (तेजपुर)
सुल्तानपुरी, श्री के०डी० (शिमला)
सेठ, श्री लक्ष्मण चन्द्र (तामलुक)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)
सेडाम, श्री बासवराज पाटील (गुलबर्गा)
सेन, श्रीमती मिनाती (जलपाईगुड़ी)
सेल्वारासु, श्री एम० (नागापट्टीनम)
सैयद हुसैन, श्री (लद्दाख)
सोज, प्रो० सैफुद्दीन (बारामूला)
सोढ़ी, श्री दया सिंह (अमृतसर)
सोमपाल, श्री (बागपत)
सोय, श्री विजय सिंह (सिंहभूम)
स्वराज, श्रीमती सुषमा (दक्षिण दिल्ली)
स्वाईं, श्री खारबेल (बालासोर)
स्वामी, डा० सुब्रहम्ण्यम (मदुरै)
स्वामी, श्री चिन्मयानंद (मछलीशहर)

ह

हमीद, श्री अब्दुल (धूबरी)
हाण्डिक, श्री विजय (जोरहाट)
हुड्डा, श्री भूपिन्द्र सिंह (रोहतक)
हेगड़े, श्री अंनत कुमार (कनारा)

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री जी॰एम॰सी॰ बालयोगी

उपाध्यक्ष

श्री पी॰एम॰ सईद

सभापति तालिका

श्री के॰ प्रधानी

डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

प्रो॰ रीता वर्मा

श्री के॰ येरननायडू

श्री वी॰ सत्यमूर्ति

श्री बसुदेव आचार्य

श्री बेनी प्रसाद वर्मा

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह

महासचिव

श्री एस॰ गोपालन

भारत सरकार

मंत्रिपरिषद

मंत्रिमंडल के सदस्य

श्री अटल बिहारी वाजपेयी विशिष्ट	प्रधान मंत्री तथा ऐसे मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी, जिनका प्रभार तौर पर किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किया गया है, अर्थात (1) कृषि मंत्रालय (2) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (3) योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (4) जल संसाधन मंत्रालय (5) परमाणु ऊर्जा विभाग (6) अन्तरिक्ष विभाग
श्री लाल कृष्ण आडव:णी	गृह मंत्री
श्री अनंत कुमार	नागर विमानन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री
श्री सिकन्दर बख्त	उद्योग मंत्री
सरदार सुरजीत सिंह बरनाला	रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री
श्री जॉर्ज फर्नान्डीज	रक्षा मंत्री
श्री रामकृष्ण हेगड़े	वाणिज्य मंत्री
डा. सत्यनारायण जटिया	श्रम मंत्री
श्री राम जेठमलानी	शहरी कार्य और रोजगार मंत्री
डा. मुरली मनोहर जोशी	मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री
श्री वाझापडी के. राममूर्ति	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
श्री पी.आर. कुमारमंगलम	विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री
डा. एम. तम्बी दुरई	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री
श्री नीतीश कुमार	रेल मंत्री
श्री नवीन नटनायक	इस्पात और खान मंत्री
श्री सुरेश प्रभु	पर्यावरण और वन मंत्री
श्री काशीराम राणा	वस्त्र मंत्री
श्री यशवंत सिन्हा	वित्त मंत्री
श्री जसवन्त सिंह	विदेश मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के मंत्री
श्री प्रमोद महाजन	सूचना और प्रसारण मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
श्री जगमोहन	संचार मंत्री

राज्य मंत्री
(स्वतंत्र प्रभार)

श्री दलित एजिलमलाई	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्रीमती मेनका गांधी	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री
श्री बाबागौड़ा पाटील	ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री दिलीप राय	कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री

राज्य मंत्री

श्री ओमाक आपांग	पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सुखबीर सिंह बादल	उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री बंडारू दत्तात्रेय	शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री रमेश बैस	इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री
[illegible]रती	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
[illegible] गंगवार	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री बाबू लाल मरांडी	पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री मुख्तार नकवी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री राम नाईक	रेल मंत्रालय में राज्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. ए. के. पटेल	रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. देवेन्द्र प्रधान	जल–भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ	संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती वसुन्धरा राजे	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सत्यपाल सिंह यादव	खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सोमपाल	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री

लोक सभा

सोमवार, 22 फरवरी, 1999/3 फाल्गुन, 1920 (शक)

लोक सभा अपराह्न 1.05 बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई

अपराह्न 1.06 बजे

[अनुवाद]

राष्ट्रपति का अभिभाषण*

महासचिव : महोदय, मैं 22 फरवरी, 1999 को संसद की एक साथ समवेत दोनों सभाओं के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण** की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

राष्ट्रपति का अभिभाषण#

माननीय सदस्यगण,

वर्ष 1999 में संसद के दोनों सदनों के इस प्रथम सत्र में आपको संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह एक महत्वपूर्ण सत्र है। संसद में बजट तथा विधायी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए, मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

नई शताब्दी और नई सहस्राब्दि की ओर बढ़ते हुए, हमें आने वाले युग की अपनी आशाओं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप अब ठोस और निश्चित प्रयास करने चाहिए। जनता ने इस संसद को इस शताब्दी से अगली शताब्दी में प्रवेश का यह अनूठा अवसर प्रदान किया है। स्वतंत्रता के बाद की उपलब्धियों पर गर्व करते हुए, हमें अधूरे रह गए कार्य मिल-जुल कर पूरे करने चाहिए और भावी चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास और दृढ़ता से करना चाहिए। हमारे गणराज्य की स्वर्ण जयन्ती निकट ही है। देश के चुने हुए सर्वोच्च निकाय और विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र के स्तम्भ के रूप में, संसद का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व इन प्रयासों के लिए राष्ट्रीय साधन जुटाना है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य दूरदर्शिता से और उपयुक्त निर्देशन दे कर यह उत्तरदायित्व निभाएंगे।

मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार चलाने के लिए राष्ट्रीय एजेन्डा को पूरी निष्ठा से कार्यान्वित किया जा रहा है जो कि मिलीजुली सरकार की साझा नीति है। पिछले ग्यारह महीनों में, सरकार ने जनता के कल्याण को बढ़ावा देने, आर्थिक विकास त्वरित करने, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा सुदृढ़ बनाने, और भारत के पड़ोसियों तथा अन्य देशों के साथ घनिष्ठ मित्रता और सहयोग विकसित करने के लिए अनेक मोर्चों पर दृढ़तापूर्वक कार्य किया है। समग्र रूप से इन प्रयासों ने देशवासियों में आत्मविश्वास की एक नयी भावना भर दी है और वर्तमान और भावी चुनौतियों का प्रभावशाली ढंग से सामना करने की हमारी क्षमता में वृद्धि हुई है।

गत वर्ष पोखरण में 11 और 13 मई को सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण करना सरकार का एक ऐतिहासिक कदम रहा है जिससे भारत एक परमाणु शस्त्र सम्पन्न राष्ट्र बन गया है। सरकार ने यह कदम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन करने के पश्चात उठाया। भारत की परमायु नीति न्यूनतम सुरक्षात्मक उपायों पर आधारित है और इस क्षेत्र में शस्त्रों की होड़ के सख्त खिलाफ है। भारत ने घोषणा की है कि वह किसी गैर-परमाणु शस्त्र वाले राष्ट्र के विरूद्ध अपने परमाणु शस्त्रों का प्रयोग कभी नहीं करेगा और न कभी किसी परमाणु शस्त्र सम्पन्न देश के विरूद्ध इनके प्रयोग में पहल करेगा। हम, जन संहार के सभी हथियारों को संपूर्ण विश्व में शीघ्र व पूर्ण रूप से समाप्त करके विश्व शांति सुनिश्चित करने जैसे नेक मुद्दों की हमेशा हिमायत करते रहेंगे। विदेश नीति संबंधी मामलों पर राष्ट्रीय सहमति बनाए रखते हुए सरकार व्यापक रूप से और भेदभाव रहति परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए जोरदार प्रयास कर रही है।

कुछ देशों ने हम पर प्रौद्योगिकी प्रतिबंध लगाए हैं। राष्ट्र इस अनुचित कार्रवाई का दृढ़ता से मुकाबला कर रहा है और मुझे विश्वास है कि हम और अधिक मजबूत व आत्मनिर्भर होकर सामने आएंगे। हमारी रक्षा व विकास संबंधी जरूरतों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों तथा उपस्करों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देशी क्षमताओं का विकास करने में हमारे सशस्त्र बलों, न्यूक्लीयर वैज्ञानिकों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा रक्षा उत्पादन यूनिटों के सम्मिलित प्रयासों के लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं।

राष्ट्र, सशस्त्र बलों और अर्द्ध सैनिक बलों के वीर जवानों और अफसरों के प्रति कृतज्ञ है जो आतंकवादियों द्वारा छोड़े गए परोक्ष युद्ध में लड़ते हुए शहीद हुए हैं। सियाचिन और अन्य दूर-दराज के सीमा क्षेत्रों में राष्ट्र की सेवा में तैनात जवानों के त्याग के प्रति देश उनका आभार प्रकट करता है। कच्छ में चक्रवात और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत तथा बचाव सहायता देने जैसी आपातस्थितियों से निपटने में सिविल प्राधिकारियों की मदद करने में सुरक्षा बलों की भूमिका अनुकरणीय है।

सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया है। भारत को मिलने वाले सैन्य, आर्थिक व राजनैतिक खतरों का सही तथा गहन

* राष्ट्रपति ने अभिभाषण अंग्रेजी में दिया।
** ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2400/99 ।
# अभिभाषण का हिन्दी पाठ भारत के उप-राष्ट्रपति द्वारा पढ़ा गया।

विश्लेषण करने में यह कारगर साबित होगी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाले निर्णयों पर एक समेकित दृष्टिकोण तैयार करने में सहायता करेगी।

पंथ-निरपेक्षता की जड़ें हमारे समाज और राज व्यवस्था में बहुत गहरी हैं इसलिए सरकार इसे बनाए रखने के लिए पूर्णतः वचनबद्ध है। हाल ही में गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में हुई कुछ घटनाएं हमारे लिये वेदना और चिंता का विषय रही हैं, लेकिन इन्हें अपवाद के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र के नैतिक मूल्यों को परिलक्षित नहीं करती हैं। सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के प्रति पूर्णतः वचनबद्ध है। राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे ऐसे सभी मामलों में दोषी व्यक्तियों को शीघ्र गिरफ्तार करें। शांति और साम्प्रदायिक सौहार्द बनाने के संबंध में सरकार की कार्यक्षमता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले दस वर्षों की अपेक्षा 1998 में सांप्रदायिक हिंसा में मौतों की घटनाएं सबसे कम हुई हैं।

आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना किसी भी सरकार का मुख्य [illegible] है। मैं इस बात से काफी संतुष्ट हूं कि देश के विभिन्न भागों [illegible] तथा विघटनकारी गतिविधियों को प्रभावशाली ढंग से [illegible]किया गया है। सुरक्षा बलों तथा राज्य प्रशासन के लगातार दबाव, सतर्कता और संगठित कार्रवाई तथा लोगों के सक्रिय सहयोग से जम्मू-कश्मीर में 1998 के दौरान कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार आया है कि स्थिति का बदलना साफ दिखायी देता है। अन्य बातों के साथ-साथ, यह इससे भी परिलक्षित होता है कि यहां पर्यटकों का आना-जाना पुनः आरंभ हो गया है जो पिछले दशक में लगभग बंद हो गया था। सरकार, इस राज्य में शान्ति को बढ़ावा देने, सामान्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियों को पुनः बहाल करने के अपने प्रयासों को जारी रखेगी। वह यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि स्थिति सामान्य हो जाने पर बहुत से कश्मीरी अपने घरों तथा परिवारों में शीघ्र लौट जाएं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में सार्वजनिक सुरक्षा की स्थिति में लगातार सुधार आ रहा है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ायी जा रही है। वाहनों, उपकरणों, हथियारों व गोला बारूद की आपूर्ति बढ़ाकर राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण किया गया है ताकि कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार किया जा सके। इसके अतिरिक्त, आर्थिक विकास के लिए सहायता बढ़ाई जा रही है। भारत सरकार अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 को निरस्त करने पर विचार कर रही है। इंफाल में राष्ट्रीय खेलों को आयोजित करने का निर्णय पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों में भावानात्मक एकता बढ़ाने और उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करने की प्रक्रिया तीव्र करने की अनेक संभावनाओं का द्योतक है।

अनिवासी भारतीय जो विश्व में कहीं भी रह रहे हैं, भारतीय परिवार का एक हिस्सा हैं। भारत के साथ उनके भावात्मक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक संबंध हमें बहुत अधिक शक्ति प्रदान करने का स्रोत हैं। सरकार ने भारतीय मूल के व्यक्तियों (पी आई ओ) के लिए कार्ड योजना को स्वीकृति दे दी है। इससे भारतीय मूल के लोगों को, जो अन्य देशों के नागरिक हैं, वीजा-मुक्त प्रवेश तथा अन्य सुविधाओं की अनुमति हो सकेगी।

'बेरोजगारी हटाओ' के लक्ष्य को पूरा करने के लिए शासन के राष्ट्रीय एजेंडा में त्वरित व संतुलित आर्थिक विकास की एक पूर्वापेक्षा है। सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद में 6.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा है। तथापि, भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व-अर्थव्यवस्था में आयी मंदी की वजह से अत्यधिक प्रतिकूल स्थिति का सामना करना पड़ा है, जैसा कि यह मंदी, दक्षिण-पूर्ण एशिया सहित विश्वभर के अनेक देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आयी तीव्र कमी और बाजार संकटों के रूप में दिखायी दी है। इसके परिणामस्वरूप, उभरते हुए बाजारों में पूंजी-प्रवाह में कमी आई है। देश की अर्थव्यवस्था में चली आ रही कई बाधाओं से बाह्य चुनौतियां बढ़ी हैं।

इन बाह्य और आंतरिक कठिनाइयों के बावजूद, अर्थव्यवस्था काफी ठीक रही है और हमारे सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर विकासशील देशों में सबसे अधिक होनी चाहिए। मुद्रा बाजार में काफी उतार-चढ़ाव के बावजूद, भारतीय रुपये की विनिमय दर नियंत्रण योग्य विनिमय सीमा के अंदर स्थिर बनी रही है। 17 फरवरी, 1999 की स्थिति के अनुसार हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 27.9 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया है। रिसर्जेंट इंडिया बाण्डों की भारी खरीद होने से 4.2 बिलियन अमरीकी डालर जुटाए गए हैं। यह स्पष्ट रूप से अनिवासी भारतीयों की भारत के प्रति निरंतर वचनबद्धता को दर्शाता है।

इस समय, केन्द्र और राज्य सरकारें, दोनों ही अत्यधिक वित्तीय दबाव में हैं। हाल के वर्षों में सामान्य सरकारी घाटे में कुल मिलाकर वृद्धि हुई है। मुद्रा-स्फीति संबंधी संभावनाओं के साथ-साथ ब्याज दरों, पूंजी निवेश और विकास पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः केन्द्र और राज्य सरकारों, दोनों के लिए राजस्व और वित्तीय घाटे में कमी लाकर अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसके लिए व्यर्थ और कम प्राथमिकता वाले व्यय पर कड़ा नियंत्रण लगाकर और लागत वसूली संबंधी उपयुक्त नीतियां अपनाकर संसाधन जुटाने के भरसक प्रयास करने की आवश्यकता है।

सरकार ने औद्योगिक सम्पत्ति और पेटेंट सहयोग संधि के संरक्षण के लिए पेरिस समझौता स्वीकार कर लिया है। इससे सूचना प्राप्ति में वृद्धि होने से औद्योगिक वातावरण में सुधार होगा, भारतीय अविष्कारकों को बेहतर संरक्षण प्राप्त होगा तथा प्रौद्योगिकीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसी प्रकार बीमा नियामक प्राधिकरण विधेयक, 1998 का उद्देश्य बीमा क्षेत्र को सुदृढ़ करना और विश्वव्यापीकरण से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने में इसे समर्थ बनाना है।

हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम लगातार प्रगति कर रहा है। इस वर्ष इनसैट-2 ई के साथ ही दूरसंवेदी उपग्रह आई आर एस-पी 4 छोड़ा

जा रहा है। पीएसएलवी की अगली उड़ान में कोरिया के किटसैट तथा जर्मनी के टुबसैट को भी छोड़ा जाएगा। यह हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक अन्य विशेष उपलब्धि होगी। इस क्षेत्र में सफलता से बेहतर दूरसंचार और प्रसारण सेवाओं, सुदूर शिक्षण, भूमि और जल-संसाधनों के मानचित्रण तथा फसल संबंधी पूर्वानुमान के लिए बड़ी आशाएं हैं।

कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है तथा हमारी जनसंख्या की जीविका का साधन है। मैं मेहनती किसानों को हार्दिक बधाई देता हूं, जो अनेक कठिनाइयों के बावजूद कृषि उत्पादन बढ़ाने और देश की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल रहे हैं। मुझे, सदस्यों को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 1998-99 में 720 लाख टन के संभावित दुग्ध उत्पादन से भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन जाएगा। आशा है कि खाद्यान्नों, दालों और अन्य फसलों के उत्पादन में हुई वृद्धि, अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह गर्व की बात है कि भारत अब सर्वाधिक गेहूं उत्पादक पहले तीन दशकों की श्रेणी में आ गया है।

सरकार कृषि तथा कृषि आधारित उद्योगों को सुदृढ़ करने के लिए एक नई राष्ट्रीय कृषि नीति बना रही है। इस नीति से, विशेषकर छोटी और मध्यम परियोजनाओं के मार्फत सिंचाई को बढ़ावा मिलेगा, छोटे एवं सीमान्त किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तथा प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंध और प्रौद्योगिकी व संस्थागत परिवर्तनों के द्वारा कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी। विशेष बल, देश के विस्तृत वर्षा-पोषित क्षेत्रों तथा पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में खाद्य उत्पादन बढ़ाने पर होगा। कृषि सहकारी समितियों और अन्य ग्रामीण ऋण संस्थाओं का विस्तार करने एवं उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे जिससे कि वे आर्थिक उदारीकरण के अवसरों का लाभ उठा सकें। नई नीति का उद्देश्य बागवानी, पुष्पकृषि, औषधीय पौधों और वनरोपण में, विशेषकर इन क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने के लिए, उत्पादन अधिक से अधिक करना है।

कृषि वस्तुओं के मूल्यों का प्रबन्ध करने की क्रान्तिक आवश्यकता है क्योंकि इसका संबंध किसानों और उपभोक्ताओं, दोनों से है। सही और समय पर सूचना का अभाव इस क्षेत्र की मुख्य बाधाओं में से एक बाधा रही है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और उनके मूल्यों के बारे में इन वस्तुओं की पहले से चेतावनी देने के लिए एक राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केन्द्र की स्थापना की गई है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की ध्यानपूर्वक निगरानी के लिए खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय में एक विशेष प्रकोष्ठ बनाया गया है। यह प्रकोष्ठ एक उच्चाधिकार प्राप्त मूल्य नियंत्रण बोर्ड को सचिवालयी सेवा दे रहा है। मूल्य स्थिति की समीक्षा करने के लिए इस बोर्ड की साप्ताहिक बैठक होती है। जमाखोरी और कालाबाजारी को अधिक कारगर ढंग से रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करने हेतु एक विधेयक संसद के इस सत्र में प्रस्तुत किया जा रहा है।

जल का इष्टतम उपयोग हमारी आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। जल के अनुचित उपयोग से, आर्थिक नुकसान होने के अलावा भूमि व पर्यावरण का स्तर कम हो सकता है तथा सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। इस समय, एक राष्ट्रीय आयोग बहुउपयोग के लिए जल संसाधनों के विकास की एक समन्वित योजना बना रहा है। इसकी रिपोर्ट इस वर्ष प्राप्त होने की आशा है, जिसमें देश के विविध जल संसाधनों के एकीकृत और कुशल प्रबंध के लिए अल्पावधिक और दीर्घावधिक उपायों की सिफारिश की जाएगी। काफी समय से लंबित कावेरी जल विवाद के संबंध में पिछले वर्ष सहमति बनने में हुई प्रगति सहयोगी और राष्ट्रीय भावना की विजय है। इस सफलता का महत्व ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाने से अन्य लंबित अंतर्राज्यिक नदी जल विवादों के निपटारे की संभावना में है जिनकी वजह से कई बड़ी विकास परियोजनाएं रूकी हुई हैं।

सरकार आधारभूत संरचना के त्वरित विकास को उच्च प्राथमिकता देती है जो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में तीव्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। योजना आयोग के तत्वावधान में गठित आधारभूत संरचना संबंधी कार्यदल ने सिल्चर से सौराष्ट्र को जोड़ने वाले पूर्व-पश्चिम मार्ग तथा कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ने वाले उत्तर-दक्षिण मार्ग सहित एक छः लेन वाली राष्ट्रीय एकीकृत राजमार्ग परियोजना के निर्माण की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है। इसमें चार महानगरों दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कलकत्ता को जोड़ने वाली पिछली स्वर्णिम चौमार्गीय परियोजना भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उपयुक्त स्थानों के बीच एक्सप्रेसवेज बनाए जाएंगे। स्वतंत्रता के बाद इस सर्वाधिक महत्वाकांक्षी आधारभूत संरचना पर कार्य पहले ही शुरू हो गया है। देश में कई स्थानों पर साथ-साथ इसे क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाए जाएंगे। बिल्ड-ऑन-ट्रांसफर व्यवस्था के जरिए निजी क्षेत्र की भागीदारी हो सकेगी।

आधारभूत संरचना संबंधी कार्य दल ने राष्ट्रीय एकीकृत परिवहन नीति का प्रारूप बनाया है। जिससे रेलों, सड़कों, बंदरगाहों, विमानपत्तनों और अंतर्देशीय जल मार्गों के बीच सहयोगपूर्वक किए जाने वाले काम से इष्टतम प्रतिलाभ प्राप्त हो सकेंगे। इस कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने देश में विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण व विस्तार करने का एक मुख्य कार्य करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में पांच विमानपत्तनों-मुम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और बंगलौर का निगमीकरण किया जाएगा।

सूचना प्रौद्योगिकी 21वीं सदी में भारत के लिए विकास का एक मात्र सबसे बड़ा अवसर है। भावी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था तथा समाज की पूर्ण इमारत उसकी नींव पर निर्भर करेगी। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रभुत्व स्थापित करने में भारत की नैसर्गिक श्रेष्ठता आज सर्वविदित है। यह पहचान भारत एवं विदेश में कार्यरत हमारे सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसायिकों तथा उद्यमियों द्वारा प्राप्त शानदार सफलता पर आधारित है।

सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्यदल की सिफारिशों के परिणामस्वरूप साफ्ट-वेयर के विकास के बहुत अधिक बढ़ावा देने के लिए कई निर्णय लिए हैं जिससे कि 2008 तक पचास बिलियन अमरीकी डालर के निर्यात का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। भारत को हार्डवेयर डिजाइन करने, बनाने तथा निर्यात करने का प्रमुख केन्द्र बनाने के लिए एक कार्य योजना पर भी विचार किया जा रहा है। पहली बार, देश में इंटरनेट सेवाओं के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नीति की घोषणा की गई है। साथ ही, कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने, इंटरनेट को शीघ्रातिशीघ्र प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराने, इंटरनेट पर, विशेषकर भारतीय भाषाओं में भारतीय कार्यक्रमों को उपलब्ध कराने, प्रशासन, बैंकिंग, वाणिज्यिक क्षेत्र और जन-उपयोगी सेवाओं में सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक इस्तेमाल तथा अनेक राज्यों में 'वायर्ड विलेजिस' परियोजनाओं के जरिये ग्रामीण विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रमुख कदम उठाने ...ी है।

प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत के सपने साकार करने में दूरसंचार द्वारा निभायी जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करती है। तदनुसार, सरकार ने दूरसंचार संबंधी एक दल का गठन किया है जो एक नयी दूरसंचार नीति को अंतिम रूप दे रहा है। इस नीति में, अन्य बातों के साथ-साथ कंप्यूटर, दूरसंचार, दूरदर्शन, मल्टीमीडिया तथा उपभोक्ता इलैक्ट्रानिक सामान के इस्तेमाल के संयुक्तीकरण को ध्यान में रखा जाएगा। इसका उद्देश्य भारत में, विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की बड़े पैमाने पर उपलब्धता, अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तीव्र गति से कनक्टिविटी लाना, और यह सुनिश्चित करना होगा कि दूरसंचार सेवाएं वहन की जा सकें। इन उद्देश्यों को, अधिक मजबूत नियामक ढांचा सृजित करके एक बेहतर प्रतियोगी वातावरण में प्राप्त किया जाएगा।

लंबित पड़ी अनेक विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति देने में आ रही अड़चनों को दूर करने के बारे में सरकार के सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण विद्युत क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है। अनेक स्वतंत्र विद्युत परियोजनाओं के वित्तीय स्रोत बहुत जल्दी औपचारिक रूप से तय हो जायेंगे जिससे उनका निर्माण-कार्य शीघ्र किया जा सकेगा। हाल ही में, सरकार ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और बिजली मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया जिसमें विशेष रूप से आधारभूत संरचना के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हुई त्वरित प्रगति की चर्चा की गई। मुझे यह उल्लेख करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अधिकाधिक राज्य सरकारों ने विनियामक आयोग का गठन करने, अपने विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन करने के लिए उपाय करने आरंभ कर दिए हैं ताकि पारेषण और वितरण संबंधी क्षतियां कम की जा सकें और प्रत्याशित पूंजी-निवेश प्रवाह बढ़ाया जा सके। इस बात पर राष्ट्रीय सहमति बनाई जाए कि चूंकि विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण व्यावसायिक कार्यकलाप हैं, इसलिए प्रयोक्ता प्रभारों की पूरी वसूली की जानी चाहिए। यदि कम प्रभारों के लिए सहमति बनाई जाती है तो इसके लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाए।

भारत परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग के प्रति वचनबद्ध है। कैगा परमाणु ऊर्जा यूनिट 2 और राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना यूनिट 3 पर काम चल रहा है और आशा है कि ये यूनिटें इस वर्ष क्रान्तिक हो जायेंगी। हमारे द्वारा निर्मित तीसरे और सर्वाधिक बड़े पुनर्संसाधन संयंत्र - कलपक्कम पुनर्संसाधन संयंत्र को सितम्बर, 1998 में राष्ट्र को समर्पित किया गया।

गैर-पारंपरिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता आज भी कायम है। गैर-पारंपरिक ऊर्जा के उपयोग में भारत का स्थान अब विश्व में चौथा है। इसके अलावा, भारत गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हमारा देश अपनी चीनी मिलों में विश्व में सबसे बड़े खोई-आधारित सह-उत्पादन कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है।

प्रत्येक भारतीय परिवार का सपना है कि उसका अपना एक घर हो। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने एक नई आवास नीति 1998 बनाई है जिसके तहत एक वर्ष में 20 लाख अतिरिक्त मकानों का निर्माण किया जा सकेगा। इससे हमारे इस्पात, सीमेंट और निर्माण सामग्री वाले उद्योगों के बढ़ावे के साथ-साथ, कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। शामिल हितकारियों के साथ व्यापक परामर्श के बाद आवास उद्योग के रास्ते में आने वाली मुख्य अड़चनों को दूर कर दिया गया है और अन्य को दूर किया जा रहा है।

सरकार ने भारतीय वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्धी क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए एक प्रौद्योगिकीय उन्नयन कोष के सृजन का निर्णय लिया है। यह योजना 1 अप्रैल, 1999 से आरंभ होगी। कृषि मंत्रालय द्वारा शीघ्र ही अलग से एक कपास प्रौद्योगिकी मिशन आरंभ किया जाएगा।

लघु, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों और हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों में रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न होते हैं। लघु क्षेत्र की सहायता करने के लिए, लघु एवं सहायक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित संदाय पर ब्याज अधिनियम, 1993 को संशोधित किया गया है। इस कार्यक्रम पर अतिरिक्त बल देने के लिए प्रधानमंत्री की रोजगार योजना भी संशोधित की गयी है।

शासन के राष्ट्रीय ऐजेंडा में उद्योग को अफसरशाही नियंत्रण से मुक्त करने की प्रतिबद्धता का उल्लेख है। सरकार ने कोयला, लिग्नाइट, पेट्रोलियम उत्पादों व चीनी जैसे उद्योगों और कुछेक बल्क औषधियों को लाइसेंस मुक्त कर दिया है। इसने वित्तीय संस्थाओं द्वारा मूल्यांकित परियोजनाओं, सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं और उन निजी कंपनियों, जिनकी पिछली साख अच्छी रही है, की परियोजनाओं के लिए स्वतः स्वीकृति की अनुमति देकर प्रौद्योगिकी आयात को भी उदार बनाया है।

सरकार सार्वजनिक उपक्रमों की पुनर्संरचना, पुनर्वास, विनिवेश, और नीतिगत बिक्री करके उनका सुधार भी कर रही है। अलग से एक

मंत्रिमंडल समिति विनिवेश और योजनाओं की पुर्नसंरचना का निरीक्षण करेगी और शीघ्रता से निर्णय लेगी।

तीन दशकों के बाद दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना की गई है जोकि संगठित क्षेत्र में मौजूदा श्रम कानूनों को तर्कसंगत करने और असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के न्यूनतम संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु एक कानूनी दायरा प्रदान करने के सुझाव देगा। आयोग उभरते आर्थिक पर्यावरण पर विचार करेगा जिसमें ऐसे तीव्र प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के कारण काम के तरीकों, समय और दशाओं में शीघ्र बदलाव लाने की आवश्यकता होती है। यह मौजूदा कानूनों में परिवर्तनों की सिफारिश करेगा ताकि उन्हें भावी श्रमिक बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके। यह सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी और मजदूरी व उत्पादकता के बीच तालमेल से संबंधित उपायों की प्रभावशीलता में सुधारों की भी सिफारिश करेगा। यह महिलाओं और विकलांग कामगारों के लिए अपेक्षित सुरक्षा उपायों तथा सुविधाओं का भी अध्ययन करेगा।

अपने नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करना किसी भी सरकार का पहला कर्त्तव्य होता है। साक्षरता, शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई और पेय जल क्षेत्र में निवेश करना सरकार की मुख्य प्राथमिकता है क्योंकि इससे हमारे नागरिकों का जीवन स्तर प्रभावित होता है और भारत की मानव विकास तालिका में सुधार होता है। पिछले बजट में, सरकार ने सामाजिक क्षेत्र के लिए बजट आबंटन में काफी वृद्धि की थी। यह प्रतिबद्धता बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त, सरकार समाज के सबसे गरीब वर्गों की सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए और उपाय करेगी।

हाल के वर्षों में स्वास्थ्य सुरक्षा क्षेत्र में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान को अपार सफलता मिली है। इस सफलता को देखते हुए अब भारत को चाहिए कि वह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नियत लक्ष्य के अनुरूप अर्थात् सन् 2000 तक पोलियो को जड़ से मिटाने का लक्ष्य प्राप्त कर ले। सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को शामिल किया जा रहा है। भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए परिवार कल्याण विभाग ने प्रजनक शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम में आयुर्वेद को शामिल किया है।

राष्ट्र विशेष रूप से एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती - अर्थात् तेजी से फैलते एड्स का सामना कर रहा है। सरकार ने राष्ट्रीय एड्स नीति तथा राष्ट्रीय रक्त नीति का एक मसौदा तैयार किया है। इससे इस जान लेवा बीमारी के तेजी से बढ़ने पर रोक लगाई जा सकेगी, घरों तथा अस्पतालों में पड़े एड्स से पीड़ित लोगों की देखभाल से संबंधित सेवाओं में सुधार किया जा सकेगा और एक स्वस्थ सामाजिक-आर्थिक वातावरण बनाया जा सकेगा ताकि समाज के सभी वर्गों के लोग एचआईवी संक्रमण से अपनी रक्षा कर सकें। मादक पदार्थों की लत भी एच आई वी फैलने का एक प्रमुख कारण है। सरकार नशामुक्ति और नशे से पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास के कार्यक्रम चलाने के लिए भी वचनबद्ध है।

गत वर्ष डा. अम्बेडकर जन्मदिवस पर कल्याण मंत्रालय का नाम बदलकर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय रखा गया था। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम तथा पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम की प्राधिकृत पूंजी तिगुनी से भी अधिक कर दी गयी है। उनके त्वरित आर्थिक विकास के लिए और कदम उठाए जाएंगे।

सरकार ने छह राज्यों में ग्रामीण महिलाओं के विकास और अधिकारिता के लिए ग्रामीण महिला विकास और अधिकारिता परियोजना आरंभ की है। महिलाओं की अधिकारिता के लिए एक राष्ट्रीय नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राष्ट्रीय बाल आयोग का गठन बाल विकास के क्षेत्र में एक नया प्रयास होगा।

सरकार ने अधिकांश वृद्ध लोगों की उभरती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उनकी स्वास्थ्य देखभाल, आवास, कल्याण, जीवन, संपत्ति और वित्तीय सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की है।

विकलांगों के बीच कार्य कर रहे पुनर्वास व्यवसायिकों के प्रशिक्षण के मानकीकरण और विस्तार करने के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद का पुनर्गठन किया गया है। मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से तैयार प्रधानमंत्री कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें 15 हजार बच्चों को शमिल किया गया है। बाद में और अधिक बच्चों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। आत्मविमोह, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक रूप से विक्षिप्त और कई तरह से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय ट्रस्ट की स्थापना, संसद के वर्तमान सत्र में पेश किए जा रहे विधेयक के पारित होते ही की जाएगी।

हालांकि, सामाजिक क्षेत्र का विकास केवल वित्तीय संसाधनों की बढ़ोत्तरी पर ही निर्भर नहीं करता। प्रशासनिक और प्रबंधकीय संसाधनों का बेहतर और वचनबद्धतापूर्ण इस्तेमाल भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। केन्द्र और राज्य, दोनों ही स्तरों पर सरकारी तंत्र को सुग्राही बनाने की काफी आवश्यकता है। मैं, यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब तक संबंधित अधिकारी और कर्मचारी इन योजनाओं के कार्यान्वयन में लोगों को शामिल करने के लिए भागीदारीपूर्ण रवैया नहीं अपनाएंगे, तब तक कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं होगी।

उच्च शिक्षा और अन्य सुविधाओं में किए गए सतत् निवेश का लाभ मिलना आरंभ हो गया है। अनेक भारतीय युवा भारत और विदेश दोनों जगह उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के साथ हमारे युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के और अधिक अवसर प्राप्त होंगे। खेलों में भी तेजी आ रही है। पिछले वर्ष एशियाई खेलों में मिले पदक, 1982 के बार से सर्वाधिक हैं जिसमें हाकी में प्राप्त किया गया स्वर्ण पदक भी शामिल है। लगभग 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले हमारे समाज में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हमें इन प्रतिभाओं का पता लगाने और इन्हें आगे बढ़ाने

के लिए गहन प्रयास करने चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत के खेल स्तर को सुधारा जा सके।

सरकार ने प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा करने के लिए एक आयोग गठित किया है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है जिस पर विचार किया जा रहा है। सरकार सूचना की स्वतंत्रता संबंधी अधिकार विधेयक प्रस्तुत करने की भी योजना बना रही है।

संसद के दोनों सदनों में चुनाव प्रक्रिया में सुधार पर कई बार चर्चा की गई है। सरकार ने चुनावों के लिए राज्यों द्वारा धन की व्यवस्था करने तथा अन्य संबंधित मामालों में सुझाव देने के लिए संसद के वरिष्ठ तथा आदरणीय सदस्य श्री इंद्रजीत गुप्त की अध्यक्षता में, एक समिति गठित की है। इस समिति ने 14 जनवरी, 1999 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इसने सुझाव दिया है कि मान्यताप्राप्त राजनीतिक पार्टियों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों को सरकार की ओर से वस्तु रूप में कुछ सहायता प्रदान की जाए। सरकार सभी पार्टियों से परामर्श करके अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देगी।

[illegible] में नव-चेतना लाने की चुनौती का सामना [illegible]यती राज प्रणाली को सुदृढ़ बनाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। भारत की अधिकांश जनता गांवों में रहती है। अतः शासन की गुणवत्ता का अंदाजा सरकार और सबसे निचले स्तर के नागरिकों के बीच के संबंधों से ही लगाया जाएगा। इन पंचायतों की कार्य-प्रणाली में सुधार करने, विशेषकर बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए इसके सदस्यों को शिक्षित करने के लिये, कई योजनाएं बनाई गई हैं। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता और गुंजाइश बहुत है।

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए राज्य सरकारों से परामर्श करके अनेक योजनाओं की पुनर्संरचना कर रहा है। इससे लाभों की स्वीकृति और इनके वितरण में प्रक्रिया संबंधी देरी से बचने के लिए पंचायतों और नगर-पालिकाओं को और अधिक अधिकार मिल सकेंगे।

माननीय सदस्यों, निरन्तरता और सहमति भारत की विदेशी नीति के प्रमाणक हैं। इस वर्ष पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध काफी सुदृढ़ हुए हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की जून, 1998 में दिल्ली और जनवरी, 1999 में कलकत्ता यात्राओं ने पूर्व में स्थित हमारे पड़ोसी देश के साथ बेहतर समझ-बूझ कायम करने में योगदान किया है। मई, 1998 में मेरी नेपाल यात्रा और इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोहों में विशेष अतिथि के तौर पर नेपाल नरेश की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच गहरी मित्रता और भी अधिक सुदृढ़ हुई और नेपाल के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों में सद्भावना और गर्मजोशी को रेखांकित किया गया है। नेपाल के साथ पारगमन संधि को भी आगे बढ़ा दिया गया है। भूटान नरेश की अक्तूबर, 1998 में भारत यात्रा से भारत और भूटान के बीच मित्रता और सहयोग के पारंपरिक संबंधों को नई गति मिली है। इसी प्रकार मालदीव देश के साथ हमारे बहुत ही घनिष्ट संबंध हैं। वहां के राष्ट्रपति की हमारे देश की यात्रा पर उनका अभिनन्दन करते हुए हमें बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ।

प्रधान मंत्री ने 20-21 फरवरी, 1999 को दिल्ली-लाहौर बस सेवा के उद्घाटन के अवसर पर पाकिस्तान की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान की सरकार एवं जनता को भारत की उनके प्रति शान्ति और मैत्री की भावना को प्रकट किया और चाहा कि दोनों देशों की जनता के हित में साथ-साथ काम करने का विस्तृत ढांचा विकसित हो। प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किये जो दो देशों के बीच शान्ति और सुरक्षा की एक ऐतिहासिक घटना है।

भारत और पाकिस्तान अब आपसी विश्वास बढ़ाने हेतु समझौते करने की दिशा में कार्य करेंगे। दोनों देशों ने सूचना प्रौद्योगिकी जैसे सहयोग के नये और महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बातचीत की और मंत्रियों के स्तर पर मानवीय हित से जुड़े मुद्दों को शीघ्रता से हल करने का निर्णय लिया। हम आशा करते हैं कि प्रधान मंत्री की ऐतिहासिक पहल और उनके इस बात के दोहराने से कि एक स्थिर, सुरक्षित और खुशहाल पाकिस्तान भारत के हित में हैं, हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ेगा।

भारत आपसी हित के सभी क्षेत्रों में चीन के साथ अपने ऐतिहासिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों को सुदृढ़ और घनिष्ठ बनाना चाहता है। उस देश के साथ हमारी वार्ता आशापूर्वक जारी है।

क्षेत्रिय सहयोग को सुदृढ़ करने की हमारी नीति के मद्देनजर, प्रधानमंत्री ने जुलाई, 1998 में कोलम्बो में संपन्न 'दक्षेस' शिखर सम्मेलन में 1 अगस्त, 1998 को दक्षेस देशों के लिए मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाते हुए इस क्षेत्र में व्यापार उदारीकरण को गति प्रदान करने संबंधी कुछ ठोस प्रयासों की घोषणाएं की। यह दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की हमारी वचनबद्धता को दर्शाता है। दिसम्बर, 1998 में श्रीलंका के राष्ट्रपति की यात्रा के समय दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए गए। इससे आर्थिक सहयोग में और निकटता आएगी और अन्य दक्षेस देशों के लिए यह उदाहरण साबित हो सकता है।

प्रधानमंत्री ने डरबन में गुटनिरपेक्ष देशों के 12वें सम्मेलन में भाग लिया जिसमें उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता और महत्व को उजागर किया। सम्मेलन के निष्कर्षों में निरस्त्रीकरण के बारे में भारत के पक्ष को न्यायसंगत ठहराया है, और इस सहस्राब्दि के समाप्त होने से पूर्व, एक निश्चित समय-सीमा में परमाणु शस्त्रों के पूर्ण उन्मूलन के एक चरणबद्ध कार्यक्रम पर सहमति बनाने के लिए संभवतः 1999 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने के हमारे प्रस्ताव का समर्थन किया गया है।

यह सरकार पश्चिमी तथा मध्य-एशिया के देशों को अपना महत्वपूर्ण सहभागी मानती है। इस क्षेत्र को दी जाने वाली प्राथमिकता को देखते हुए, प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा ओमान राज्य की थी जिसके साथ हम घनिष्ठ आर्थिक संबंध बना रहे हैं। सितम्बर, 1998

की मेरी तुर्की यात्रा से दोनों राष्ट्रों के बहुत पुराने संबंधों को पुनर्जीवित करने में सहायता मिली है। जनवरी, 1999 में ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा से दोनों देशों के हमारे संबंधों को पुनर्जीवित करने तथा मध्य एशिया में क्षेत्रीय विकास पर अपने विचारों से एक दूसरे को अवगत कराने का अच्छा अवसर मिला है।

पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों तथा संस्थापिक रूप से आसियान के साथ हमारे संबंध संतोषजनक ढंग से विकसित हो रहे हैं। भारत इंजीनियरी व्यापार मेला-99 के उद्घाटन के लिए कोरिया गणराज्य के प्रधानमंत्री भारत आये। यह पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ हमारे आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक और ठोस कदम हैं। हमें थाईलैण्ड के युवराज की इस देश की यात्रा के दौरान उनका अभिनन्दन करते हुए प्रसन्नता हुई।

दिसम्बर, 1998 में रूस के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने कई विषयों पर वार्ता करके और अधिक क्षेत्रों में पारस्परिक सहभागिता और संबंधों को सुधारने के हमारे दृढ़ संकल्प को और अभिपुष्ट किया है। अक्तूबर, 1998 में बल्गारिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा से बल्गारिया के साथ हमारे संबंध और मजबूत हो रहे हैं। मार्च, 1998 में कनाडा के गवर्नर जनरल की हमारे देश की यात्रा के दौरान उनका स्वागत करते हुए बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ। फरवरी, 1999 में पहली बार इस्टोनिया के राष्ट्रपति द्वारा की गई भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच आशापूर्ण संबंधों की नींव पड़ी है।

सितम्बर, 1998 में मैं, जर्मनी, लग्जमबर्ग और पुर्तगाल गया था और इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मेरा बहुत ही उपयोगी विचार-विमर्श हुआ। सितम्बर, 1998 में प्रधानमंत्री वाजपेयी ने फ्रांस की यात्रा की जिनके साथ हमारे ऐसे संबंध हैं कि हम अपने अनुभव, गहरी सोच और विश्वास का आदान-प्रदान कर रहे हैं। जनवरी, 1999 में स्विटजरलैंड के राष्ट्रपति, बेल्जियम के क्राउन प्रिंस तथा लग्ज़मबर्ग के प्रधानमंत्री की यात्राओं से इन महत्वपूर्ण यूरोपीय देशों को भारत के निकट लाने में बहुत मदद मिली है।

प्रधानमंत्री की अगस्त-सितम्बर, 1998 में की गई नामिबिया, दक्षिण अफ्रीका तथा मारीशस की यात्राओं तथा फरवरी, 1999 की मोरक्को यात्रा से भारत और अफ्रीका के संबंधों में और प्रगाढ़ता आयी है। अक्तूबर, 1998 में मारीशस के प्रधानमंत्री भारत आये।

अब हम लेटिन अमरीका और कैरिबीयन देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत बना रहे हैं। अप्रैल-मई, 1998 की मेरी ब्राज़ील व पेरू यात्रा तथा फरवरी, 1999 की प्रधानमंत्री की त्रिनिडाड, टोबेगो और जमैका यात्रा से यह ज्ञात होता है कि मेरी सरकार लेटिन अमरीकी देशों को कितनी महत्ता दे रही है।

सुदृढ़ 'संयुक्त राष्ट्र' के जरिए पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता से इंकार नहीं किया जा सकता। भारत संयुक्त राष्ट्र के अन्य सदस्य राष्ट्रों के साथ इसमें सुधार के लिए कार्य करता रहा है ताकि यह संस्था सदस्य राष्ट्रों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक कारगर व जवाबदेह बन सके।

संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत हाल ही में गोआ और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। गोआ में लंबे समय से राजनैतिक अस्थिरता चल रही थी जिसके कारण राज्य प्रशासन पंगु हो गया था। विधायकों की लगभग आम सहमति से राज्य विधान सभा को भंग करने की सिफारिश की गई थी ताकि शीघ्र चुनाव कराए जा सकें। बिहार में हाल में कुछ निर्दोष लोगों की सामूहिक हत्या का सिलसिला जारी था जिनमें से अनेक दलित थे। इन सामूहिक हत्याओं से हम सभी दुखी और खिन्न हुए हैं। किसी भी सरकार का पहला दायित्व नागरिकों, विशेष रूप से गरीब उत्पीड़ित लोगों की जान-माल की रक्षा करना है। दोनों मामलों में, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गयी थीं जिनसे इन राज्यों की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुरूप नहीं चल पायी। गोआ विधान सभा को भंग कर दिया गया है और बिहार विधान सभा को निलंबित रखा गया है।

माननीय सदस्यों, भारत को सभी क्षेत्रों में मजबूती प्रदान करने की दिशा में किए गए विविध प्रयासों और कोशिशों को सफल बनाने में आपका विशिष्ट योगदान रहा है। मुझे विश्वास है कि आप वर्ष के अन्य सत्रों की तरह, संसद के आगामी सत्र और वर्ष के दौरान अन्य सत्रों में भी ऐसी रचनात्मक परिचर्चा करेंगे जिससे सभी निर्धारित विधायी और बजट संबंधी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किये जा सकेंगे। मैं, आप सभी को इसके लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

जय हिन्द।

अपराह्न 1.06½ बजे

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों जैसा कि आज हम लगभग दो माह के अन्तराल के बाद मिल रहे हैं। मुझे दुख के साथ सभा को जार्डन के शाह हुसैन, इस सम्मानित सभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष प्रो. जी. जी. स्वैल, तथा हमारे तीन भूतपूर्व सहयोगियों, सर्वश्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह, के.टी. अच्युतन और आर.जी. तिवारी के निधन की सूचना देनी है।

भारत के लोग जार्डन के हाशिम साम्राज्य के शाह हुसैन के असामयिक निधन के समाचार से स्तब्ध और दुखी हुए। इतिहास शाह हुसैन को मध्य-पूर्व में शांति और सूझबूझ की एक साहसिक प्रतिमूर्ति के रूप में याद करेगा। इस उद्देश्य की प्रति उनकी वचनबद्धता ने मध्य-पूर्व-शांति प्रक्रिया की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया,

जिसका अंतिम उद्देश्य इस क्षेत्र में उचित, स्थाई और व्यापक शांति था।

शाह हुसैन के नेतृत्व काल में भारत और जार्डन के बीच द्विपक्षीय सहयोग में अधिक प्रगति हुई। भारत-जार्डन संबंधों के विकास में उनके सक्रिय योगदान के लिए भारत के लोग शाह हुसैन का हमेशा सम्मान करते रहेंगे। वह भारत के एक सच्चे मित्र थे।

मुझे विश्वास है कि यह सदन शाह हुसैन के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों, जार्डन सरकार तथा वहां के लोगों को अपनी संवेदना भेजने में मेरे साथ हैं।

प्रो. जी.जी. स्वैल तीसरी, चौथी और पांचवीं लोक सभा के सदस्य थे और 1962-67 के दौरान असम स्वायत्त जिले का प्रतिनिधित्व किया तथा 1984-1989 के दौरान आठवीं लोक सभा तथा 1996 से 1997 के दौरान ग्यारहवीं लोक सभा में मेघालय के शिलांग संसदीय [illegible] प्रतिनिधित्व किया। बीच में वह 1990-96 तक राज्य [illegible]।

एक प्रोफेसर और विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रो. स्वैल की ख्याति सर्वविदित थी। उन्होंने अपना राजनैतिक जीवन 1952 में प्रारंभ किया और विभिन्न सामाजिक और राजनैतिक संगठनों के साथ विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे। एक विख्यात सांसद के रूप में प्रो. स्वैल ने संसद में आने के साथ ही अपनी एक विशिष्ट पहचान बना ली थी।

वह चौथी और पांचवीं लोक सभा के दौरान उपाध्यक्ष पद पर आसीन रहे और उन्होंने बड़ी कुशलता के साथ सदन की कार्यवाही का संचालन किया। उन्होंने 1992-94 के दौरान सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति और 1996 में विदेशी मामलों संबंधी समिति तथा कम्प्यूटर के प्रावधान संबंधी समिति में अत्यंत दक्षतापूर्वक कार्य किया।

प्रो. स्वैल 1977 से 1980 तक नार्वे में और 1980 से 1984 तक म्यांमार (बर्मा) में भारत के राजदूत रहे।

प्रो. स्वैल ने अनेक देशों की यात्रा की और 1985 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में शिष्ट मंडल के सदस्य के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

प्रो. स्वैल ने राष्ट्रीय समाचार पत्रों में अनेक लेख लिखे।

उनका निधन 75 वर्ष की आयु में 25 जनवरी, 1999 को शिलांग में हुआ।

उनके निधन से देश ने एक कुशल प्रशासक एवं संसदविद् और इससे बढ़कर एक विशिष्ट व्यक्ति खो दिया।

श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह सातवीं, आठवीं और दसवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने 1980-1989 और 1991 से 1996 तक मध्य प्रदेश की राजनांद गांव संसदीय चुनाव-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

वह पेशे से एक कृषक थे और एक विख्यात सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। वह राज्य में विभिन्न संगठनों से जुड़े रहे। उन्होंने दलितों के उत्थान और विकलांगों तथा अनाथ व्यक्तियों के कल्याण के लिए अथक कार्य किया।

श्री सिंह एक कुशल संसदविद् थे और 1991 से 1996 तक संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों संबंधी संयुक्त समिति के सभापति तथा अनेक समितियों के सदस्य रहे।

श्री सिंह ने अनेक देशों की यात्रा की और वे इंग्लैंड, फ्रांस तथा ईराक गये भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य रहे।

उनका निधन 56 वर्ष की आयु में 31 दिसम्बर, 1998 को गुड़गांव में हुआ।

श्री के.टी. अच्युतन पहली लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने 1952-1957 तक त्रिचूर (त्रावणकोर-कोचीन) के तत्कालीन क्रंगण्णूर संसदीय चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इसके पूर्व श्री अच्युतन 1942 से 1948 तक कोचीन विधान सभा और 1948 से 1951 तक त्रावणकोर-कोचीन विधान सभा के सदस्य रहे। तत्पश्चात उन्होंने 1960 से 1965 तक श्रम एवं परिवहन मंत्री के रूप में केरल सरकार की कुशलतापूर्वक सेवा की।

श्री अच्युतन एक प्रख्यात संसदविद् थे और 1955 से 1956 तक याचिका समिति के सदस्य रहे।

श्री अच्युतन ने केरल में पिछड़े वर्गों के सांस्कृतिक उत्थान के पुनर्जागरण आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। श्री अच्युतन सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आन्दोलन में भी भाग लिया था।

पेशे से वकील, श्री के.टी. अच्युतन को केरल में बहुत सम्मान दिया जाता था। उनका जीवन सरल था और प्रगतिशील आदर्शों के प्रति उनकी कटिबद्धता के कारण वह लोगों में लोकप्रिय थे।

श्री के.टी. अच्युतन का केरल में कोडगलूर में 8 जनवरी, 1999 को 87 वर्ष की आयु में निधन हुआ।

श्री आर.जी. तिवारी ने 1971 से 1977 और 1980 से 1984 के दौरान क्रमशः मध्य प्रदेश के बिलासपुर और जंजगीर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों का क्रमशः पांचवीं और सातवीं लोक सभा में प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व श्री तिवारी 1967 से 1971 तक मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। वह मध्य प्रदेश सरकार में कानून और सहकारिता मंत्री भी थे।

श्री तिवारी पेशे से एडवोकेट और किसान थे तथा वह विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य सहकारी विपणन परिसंघों से संबद्ध रहे।

श्री तिवारी एक जाने माने सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता

थे। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के संवर्द्धन और ग्रामीण विकास के लिए अथक कार्य किया।

श्री तिवारी ने सहकारिता आन्दोलन के सिलसिले में व्यापक यात्राएं की और सहकारिता विषय पर अनेक लेख लिखे जो प्रकाशित हुए।

श्री तिवारी का 12 फरवरी, 1999 को मध्य प्रदेश के रायपुर में 88 वर्ष की आयु में निधन हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ हैं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

अपराह्न 1.13½ बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र लिए जाएंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.14 बजे

इस समय श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अपराह्न 1.14½ बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

राष्ट्रपति द्वारा गोवा राज्य और बिहार राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जारी की गई उद्घोषणाएं

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा गोवा राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (1) के अंतर्गत 10 फरवरी, 1999 को जारी उद्घोषणा जो भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 94(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रपति द्वारा उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) के अनुसरण में 10 फरवरी, 1999 को किये गये आदेश, जो 10 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 95(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 2401/99]

(2) गोवा के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत 3 और 8 फरवरी, 1999 के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 2402/99]

(3) (एक) संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बिहार राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (1) के अंतर्गत 12 फरवरी, 1999 को जारी उद्घोषणा जो 12 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 107(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रपति द्वारा उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) के अनुसरण में 12 फरवरी, 1999 को किये गये आदेश, जो 12 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 108(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 2403/99]

(4) बिहार के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत 18 सितम्बर, 1998 और 11 फरवरी, 1999 के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 2404/99]

पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश, 1999 द्वारा तुरंत विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : महोदय, मैं श्री सिकन्दर बख्त की ओर

से लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 71(2) के अन्तर्गत पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश 1999 द्वारा तुरंत विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। ...*(व्यवधान)*

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 2405/99]

नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अध्यादेश, 1999 द्वारा तुरंत विधान बनाए जाने का कारण बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : मैं, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 71(2) के अन्तर्गत नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अध्यादेश, 1999 द्वारा तुरंत विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 2406/99]

कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 1999 द्वारा तुरंत विधान बनाए जाने का कारण बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई) : महोदय, मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 72(1) के अन्तर्गत कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 1999 द्वारा तुरंत विधान बनाए जाने का कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।...*(व्यवधान)*

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 2407/99]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के अन्तर्गत जारी अध्यादेश

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : मैं संविधान के अनुच्छेद 123(2)(क) के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) राष्ट्रपति द्वारा 31 दिसम्बर, 1998 को प्रख्यापित वित्त (संख्याक 2) संशोधन अध्यादेश, 1998 (1998 का संख्यांक 20)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 2408/99]

(दो) राष्ट्रपति द्वारा 7 जनवरी, 1999 को प्रख्यापित कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 1999 (1999 का संख्यांक 1)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 2409/99]

(तीन) राष्ट्रपति द्वारा 7 जनवरी, 1999 को प्रख्यापित प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन अध्यादेश, 1999 (1999 का संख्यांक 2)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 2410/99]

(चार) राष्ट्रपति द्वारा 8 जनवरी, 1999 को प्रख्यापित पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश, 1999 (1999 का संख्यांक 3)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 2411/99]

(पांच) राष्ट्रपति द्वारा 8 जनवरी, 1999 को प्रख्यापित केन्द्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश, 1999 (1999 का संख्यांक 4) तथा केवल हिन्दी संस्करण में तत्संबंधी शुद्धि पत्र।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 2412/99]

(छह) राष्ट्रपति द्वारा 11 जनवरी, 1999 को प्रख्यापित नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अध्यादेश, 1999 (1999 का संख्यांक 5)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 2413/99]

(सात) राष्ट्रपति द्वारा 18 जनवरी, 1999 को प्रख्यापित संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अध्यादेश, 1999 (1999 का संख्यांक 6)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 2414/99]

केन्द्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश, 1999 द्वारा तुरंत विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : महोदय, मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 71(2) के अन्तर्गत केन्द्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश, 1999 द्वारा तुरंत विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 2415/99]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 23 फरवरी, 1999 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.16 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 23 फरवरी, 1999/4 फाल्गुन, 1920 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।